

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ.7(4)विधि/अकाद/आकाशि/2021/443

दिनांक 30.11.2021

अति आवश्यक

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना बाबत।

सन्दर्भ :- निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.13()अनु/कोचिंग/सान्याअवि/
2021/40101 जयपुर दिनांक 10.09.2021.


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय से कोचिंग हेतु कितने छात्रों ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में पंजीयन करवाया है, कि संख्या स्प्रेडशीट ANUPRITY 2021 में दिनांक 01.12.2021 को प्रातः 12.00 बजे तक भरा जाना सुनिश्चित करें।

कृपया कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
क्रमांक: एफ 13 ()अनु./कोचिंग/सान्याअवि/2021/40101 जयपुर, दिनांक: 10-9-21

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2021-22 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किये जाने हेतु अपने आवेदन sso portal (<https://sso.rajasthan.gov.in>) द्वारा SJMS SMS APP. पर दिनांक 10 सितम्बर 2021 से 24 सितम्बर 2021 तक ऑनलाईन किये जा सकते हैं।

इच्छुक पात्र कोचिंग संस्थान भी पंजीयन हेतु योजनान्तर्गत दिनांक 24.09.21 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकती हैं।

योजना एवं पात्रता का विस्तृत विवरण विभागीय वैबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव